



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13062022-236538
CG-DL-E-13062022-236538

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2583]
No. 2583]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 13, 2022/ज्येष्ठ 23, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 13, 2022/JYAISHTHA 23, 1944

गृह मंत्रालय
(सीटीसीआर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2022

का.आ. 2711(अ).—केंद्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिवक्ताओं को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों के लिए उनके नामों के समक्ष दर्शाए गए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विधि द्वारा स्थापित किसी विशेष न्यायालय एन आई ए और उच्च न्यायालय के समक्ष, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की ओर से मामलों में पैरवी करने के लिए एतद्वारा, विशेष लोक अभियोजकों (एस पी पी) के रूप में नियुक्त करती है:-

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के लिए	विशेष लोक अभियोजकों के रूप में नियुक्ति के लिए समिति द्वारा अनुशंसित अधिवक्ताओं के नाम।	संबंधित न्यायालय
1	दिल्ली और जम्मू और कश्मीर	1. श्री शैला कुमार भट्ट	एनआईए विशेष न्यायालयों के साथ-साथ दिल्ली और जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय
2	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश	1. श्री लोकेश नारंग	एनआईए विशेष न्यायालय के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय

3	जम्मू और कश्मीर	1. श्री अनिल खजूरिया	एनआईए विशेष न्यायालयों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय
4	मणिपुर और असम	1. श्री युमनाम पाइखोम्बा	एनआईए विशेष न्यायालय
5	पश्चिम बंगाल	1. श्री भास्कर प्रोसाद बनर्जी	एनआईए विशेष न्यायालयों के साथ-साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय
6	पश्चिम बंगाल	2. श्री सुदीप कुमार	उच्च न्यायालय कलकत्ता
7	तेलंगाना	1. श्री अनिल प्रसाद तिवारी	उच्च न्यायालय तेलंगाना
8	केरल	1. श्री वी एन अनिल कुमार	एनआईए विशेष अदालतें भी केरल के उच्च न्यायालय के रूप में
9	केरल	2. श्री वीनू राज आर	एनआईए विशेष अदालतें भी केरल के उच्च न्यायालय के रूप में
10	छत्तीसगढ़	1. श्री बी .गोपा कुमार	उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़

[फा. सं. 11011/40/2019/एनआईए]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**(CTCR Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th June, 2022

S.O. 2711(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints the following advocates as Special Public Prosecutors (SPPs), for conducting the cases on behalf of the National Investigation Agency before any Special Courts, NIA and High Courts established by law in the territory of the States and Union Territories indicated against their names for three years with effect from the date of publication this notification:-

S. No.	For State/ UT	Names of the Advocates recommended by the Committee for appointment as Special Public Prosecutors	Respective Courts
1	Delhi and Jammu & Kashmir	Sh. Shaila Kumar Bhatt	NIA Special Courts as well as High Courts of Delhi and J&K
2	Chandigarh, Punjab, Haryana and Himachal Pradesh	Sh. Lokesh Narang	NIA Special Court as well as High Courts of Himachal Pradesh Punjab and Haryana
3	Jammu & Kashmir	Sh. Anil Khajuria	NIA Special Courts as well as High Court of J&K
4	Manipur and Assam	Sh. Yumnarn Paikhomba	NIA Special Court
5	West Bengal	Sh. Bhaskar Prosad Banerjee	NIA Special Courts as well as High Court of Calcutta
6	West Bengal	Sh. Sudip Kumar	High Court of Calcutta
7	Telangana	Sh. Anil Prasad Tiwari	High Court of Telangana

8	Kerala	Sh. V N Anil Kumar	NIA Special Courts as well as High Court of Kerala
9	Kerala	Sh. Vinu Raj R	NIA Special Courts as well as High Court of Kerala
10	Chhattisgarh	Sh. B. Gopa Kumar	High Court of Chhattisgarh

[F. No. 11011/40/2019/NIA]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.